न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 30/2019

उमेशचन्द पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी ग्राम नसवारा तहसील वैर

अपीलान्टान

बनाम

राजस्थान सरकार तामील जरिये पैरोकार सरकार

रैस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 15.03.2019 तहसीलदार वैर। पत्रावली संख्या 01/2019 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री अर्जुन सिंह, अभिभाषक अपीलान्टान

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 31.12.2020

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 15.03.2019 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को अतिकमी आराजी खसरा नम्बर 327 रकवा 1.33 है0 किस्म चारागाह से बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट ने मकान दिनांक 15.01.2013 को मंगतूराम पुत्र रामनन्दन जाति जाटव निवासी ग्राम नसवारा तहसील वैर से खरीद किया है जो आबादी भूमि में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

बना हुआ है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट अपने परिवार के साथ उक्त मकान में रिहायश कर रहा है लेकिन पार्टीबन्दी के आधर पर पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध 91 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत नोटिस दिलवाकर बेदखल करने का आदेश तहसीलदार वैर से पारित करा दिया है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार वैर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2019 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 327 / 1.33 है0 ग्राम नसवारा किस्म चारागाह में पुख्ता मकान अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट को बेदखल एवं पैनल्टी के दण्ड से दण्डित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। चूंकि विवादित आराजी की किस्म चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर अतिक्रमी है। तहसीलदार वैर द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि:–

उपरोक्त विवेचनानुसार आपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दि. 31.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)